बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों की राज्यस्तरीय मासिक बैठक दिनांक–13.07.2015 की कार्यवाही।

1. उपस्थितिः– पंजी के अनुसार।
2. बैठक को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा निदेशक, भू–अर्जन द्वारा संबोधित किया गया। प्रधान सचिव महोदय द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु भू–अर्जन/अधिग्रहण कार्य की महत्ता को रेखांकित करते हुए निर्धारित समय–सीमा के भीतर निष्पादित करने का निदेश दिया गया।
3. प्रधान सचिव महोदय द्वारा सभी जिला भू अर्जन पदाधिकारियों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के विभिन्न धाराओं में निरूपित महत्वपूर्ण प्रावधानों की संक्षिप्त में जनाकारी दी गई।
4. प्रधान सचिव महोदय द्वारा NHAI के उपस्थिति पदाधिकारियों को पुनः निदेशित किया गया कि हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान एतद संबंधी राज्य सरकार की नीति के आधार पर की जाय। यदि किसी परियोजना में हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान प्रावधानित दर से कम की जा रही हो तो उस स्थिति में मामले को मध्यस्थ को रेफर किया जाय।
5. प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि चकबंदी, निदेशालय, बिहार, पटना में पदस्थापित 10 प्रभारी चकबंदी पदाधिकारी में से 2 पदाधिकारी को कार्यहित में जिला भू–अर्जन कार्यालय, पटना में तत्काल प्रतिनियुक्ति किया जाय।
6. **जमुई जिलान्तर्गत** बी0एम0पी0 11 बटालियन का मुख्यालय भवन निर्माण एवं सिपाही प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण हेतु भू–अर्जन/भू–हस्तांतरण के प्रस्ताव को आयुक्त कार्यालय से संपर्क कर सरकार स्तर पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजने का निदेश जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, जमुई को दिया गया।
7. बैठक में रेलवे अधिनियम–1989 के तहत अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि का निर्धारण एवं भुगतान के संबंध में तथा रेलवे से संबंधित चल रही विभिन्न परियोजनाओं के भू–अर्जन कार्यों की प्रगति की समीक्षा सभी जिला भू अर्जन पदाधिकारियों के साथ की गई।
8. **दीघा–सोनपुर गंगा रेल–सह–सड़क पुल परियोजनाः–सारण जिलान्तर्गत** परियोजना पूर्ण। **पटना जिलान्तर्गत** 26 मौजा का दखल–कब्जा अधियाची विभाग को सौप दिया गया है। 24 मौजा का प्राक्कलन स्वीकृत। दीघा–1 में 11.5 डिसमिल का प्लॉट एवं दीघा–3 में 11.00 डिसमिल का प्लॉट नये भू–अर्जन नीति से प्रभावित होने के कारण एस0 आई0. ए0 हेतु ए0 एन0 सिन्हा इन्सटीच्यूट को भेजा गया है। एक सप्ताह के भीतर एस0आई0ए0 का अधिसूचना निर्गत करने का निदेश निदेशक, भू–अर्जन द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को दिया गया। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि बिन्दटोली में बसे लोगों को पुनर्वासित करने की प्रकिया प्रांरभ है।
9. **मुंगेर–बेगूसराय गंगा रेल–सह–सड़क पुल परियोजनाः**– बेगूसराय जिलान्तर्गत 16 प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित करने हेतु रैयती भूमि लीज नीति के तहत दिनांक–20.06.2015 तक भूमि लेने एवं दिनांक–17.06.2015 तक इस हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराने का निदेश दिया गया था, जो अबतक लंबित है। इस संबंध में पुनः निदेशक, भू अर्जन द्वारा निदेश दिया गया कि अगली माह की बैठक से पूर्व कार्य पूर्ण की जाय।

10. **हाजीपुर–रामदयालुनगर दोहरीकरण रेल परियोजना**:–एस0आई0ए0 कार्य पूर्ण। एस0आई0ए0 हेतु शुल्क राशि 23.65 लाख रूपये की मांग रेलवे से जिला भू अर्जन पदाधिकारी, वैशाली द्वारा की गई, जो अबतक अप्राप्त है। साथ ही, हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान करने हेतु कुल अनुमानित प्राक्कलित राशि 11.86 करोड रूपये की मांग जिला भू पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 266 दिनांक 6.5.15 एवं 299 दिनांक 25.5.15 द्वारा अधियाची विभाग से की गई है, जो अबतक अप्राप्त रहने के कारण अग्रेतर कार्रवाई बाधित।

11. **छपरा–मुजफ्फरपुर नई रेल लाईन** :– सारण जिलान्तर्गत कुल 47 गांव का प्रस्ताव प्राप्त। 22 गांव में दखल कब्जा अधियाची विभाग को सौंपा गया है। 3 गांव का धारा–4/6 एवं 7/17 (1) की प्रकिया पूर्ण होने के बावजूद अधियाची विभाग से राशि अप्राप्त रहने के कारण भू–अर्जन की कार्रवाई व्ययगत। 2 गांव यथा–मौजा विशनपुरा एवं शेरपुर हेतु नये भू अर्जन के तहत अधियाची विभाग से राशि 35.00 करोड की मांग जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सारण द्वारा की गई है जो अबतक अप्राप्त है।

12. **मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी नई रेल लाईन** :– मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत इस परियोजना हेतु अधिग्रहित भूमि का दाखिल–खारिज की समस्या को हल करने हेतु रेलवे के उपस्थित अधिकारी को आर0 टी0 पी0 एस0 के काउन्टर पर फाईल करने का निदेश पुनः दिया गया।

13. **कोशी महासेतु सुपौल**:– 4.6 हे0 सरकारी भूमि हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव तैयार कर एक सप्ताह के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त स्तर से राजस्व विभाग को भेजने का निदेश निदेशक, भू–अर्जन द्वारा दिया गया। 1.7 हे0 रैयती भूमि से संबंधित रैयतों को मुआवजा भुगतान करने हेतु राशि की मांग अधियाची विभाग से करने का निदेश दिया गया।

14. **डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर**:–औरंगाबाद जिलान्तर्गत 8 हे0 सरकारी भूमि हस्तांतरण का मामला एक माह से जिला स्तर पर लंबित। उक्त के संबंध में निदेशक, भू अर्जन द्वारा निदेश दिया गया कि एक माह के अंदर सरकारी भूमि हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजना सुनिश्चित की जाय। कुल 48 गांव में से 27 गांव का पंचाट घोषित । शेष 21 गांव का पंचाट लंबित। इस संबंध में निदेशक भू अर्जन द्वारा निदेश दिया गया कि अविलम्ब शेष मौजों का अवार्ड घोषित करें। राशि 5.00 करोड अधियाची विभाग से दिनांक 24.05.2014 को प्राप्त, परंतु मुआवजा भुगतान की कार्रवाई लंबित। **गया जिलान्तर्गत** –32.24 हे0 सरकारी भूमि हस्तांतरण के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया तथा शेष 7 गांव का गजट अधिसूचना लंबित रहने के संबंध में जांच करने का निदेश दिया गया।

15. **देवघर–सुल्तानगंज नई रेल लाईन परियोजना**:–बांका जिलान्तर्गत कुल 7 गै0म0आम भूमि प्रस्ताव में से 3 प्रस्ताव का पंचाट घोषित, शेष 4 प्रस्ताव का भू अर्जन हेतु नये भू अर्जन अधिनियम के तहत अधियाचना अप्राप्त। कुल 12 रैयती मौजा में से 11 मौजा में पंचाट एवं दखल कब्जा की कार्रवाई पूर्ण। शेष एक मौजा का पंचाट दिनांक 31.07.15 तक गठन करने का निदेश दिया गया। **भागलपुर जिलान्तर्गत** कुल 4 मौजा में से मौजा का पंचाट एवं दखल कब्जा की प्रकिया पूर्ण। शेष 2 मौजा में जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अधियाची विभाग द्वारा दखल कब्जा प्राप्त नहीं किया जा रहा है। इस संबंध मे निदेशक, भू अर्जन द्वारा दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु अधियाची विभाग को निदेशित किया गया।

16. **देवघर–सुल्तानगंज नई रेल लाईन द्वितीय चरण परियोजना**:–कुल 31 मौजा में से 9 मौजा में पंचाट घोषित। 11 मौजा में दखल कब्जा अधियाची विभाग को सौंपने हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी बांका द्वारा मार्गदर्शन की मांग की गई, जिसके आलोक में निदेशक, भू अर्जन द्वारा मार्गदर्शन दी गई। साथ ही, अधियाची विभाग को दखल कब्जा के संबंध में जिला भू अर्जन पदाधिकारी से जानकारी प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया।

17. **मानपुर फ्लाईओवर लाइन निर्माण**:–फेज–1 में धारा–4/6 की कार्रवाई पूर्ण होने के बावजूद अग्रेतर कार्रवाई लंबित। फेज–2 नये अधिनियम के तहत रेलवे द्वारा अधियाचना जनवरी 2015 को दी गई थी परन्तु अग्रेतर कार्रवाई लंबित। इस संबंध में निदेशक, भू अर्जन द्वारा निदेश दिया गया कि एस0आई0ए0की प्रकिया हेतु बिहार राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत एस0आई0ए0 इंकाई को भेजी जाय।

18. **राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956** के तहत अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि निर्धारण एवं भुगतान के संबंध में तथा एन0एच0ए0आई0 से संबंधित चल रही विभिन्न परियोजनाओं के भू–अर्जन कार्य की प्रगति की समीक्षा सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के साथ की गई।

19. **एन0 एच0–57 परियोजना**:–अररिया जिलान्तर्गत मिरिंग प्लॉट का एम0भी0आर0 कम हो जाने के कारण रैयतों द्वारा विरोध करने के संबंध में निदेशक भू अर्जन द्वारा निदेश दिया गया कि जिस दर पर मुआवजा परियोजना के अन्य मौजों के हितबद्ध रैयतों को की गई है, उसी दर पर मिरिंग प्लॉट के रैयतों को भी क्षतिपूर्ति राशि दी जाय।

20. **एन0 एच0–57A परियोजना**:–अररिया जिलान्तर्गत 4 हेक्टेयर में से 1.5 हे0 का पंचाट घोषित, शेष 2.5 हे0 का अवार्ड एक माह के भीतर घोषित करने का निदेश दिया गया। एन0एच0ए0आई0 से प्राप्त राशि कुल–76.00 करोड़ में से 56.58 करोड राशि हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान किया गया। शेष प्राक्कलित राशि एन0 एच0 ए0 आई0 द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इस परियोजना के निर्माण हेतु अधियाची विभाग को अविलम्ब निविदा जारी करने का भी निदेश प्रधान सचिव महोदय द्वारा दिया गया।

21. **एन0 एच0 02 (6 लेन औरंगाबाद से वाराणसी) परियोजना**:– **औरंगाबाद जिलान्तर्गत** 26 ग्राम में से 26 का पंचाट घोषित। 22 ग्राम का दखल–कब्जा प्राप्त। रैयतों द्वारा उच्च दर की मांग के कारण 4 मौजा का पंचाट मध्यस्था में लंबित है। **कैमूर जिलान्तर्गत** 34 मौजों में से 34 मौजों का अवार्ड घोषित। 34 मौजा का दखल–कब्जा अधियाची विभाग को सौपा गया। **रोहतास जिलान्तर्गत** एक मौजा का 3डी प्रस्ताव लंबित है। मौजा–डिहरी एवं पाली में अधिग्रहित भूमि को डि–नोटिफाईड करने के संबंध में बैठक में उपस्थित अधियाची विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस संबंध में एन0एच0एक्ट के तहत कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि उपस्थित अधिकारी अपने उच्च पदाधिकारियों/केन्द्रीय पदाधिकारियों से विमर्श कर कोई नीति निर्धारण की कार्रवाई करें।

22. **एन0 एच0–02 (6 लेन औरंगाबाद से बरवाअड्डा) परियोजना**:–**औरंगाबाद जिलान्तर्गत** कुल 10 प्रस्ताव में से 9 प्रस्ताव का अवार्ड घोषित। 1 मौजा जिसे एन0 एच0 ए0 आई0 को अधिग्रहण से मुक्त करना है, उसे एक सप्ताह के भीतर डि–नोटिफाई करने का पुनः निदेश दिया गया। कुल–15.1931 हे0 सरकारी भूमि में से 5.22 हे0 केसरे हिन्द भूमि/भारत सरकार से संबंधित रहने के कारण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर सौपने का निदेश दिया गया तथा राज्य सरकार की भूमि से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 31.07.2015 तक निदेशालय भेजने हेतु निदेश दिया गया।

23. **एन0एच0–31 (खगड़िया–पूर्णियाँ)**:– **भागलपुर जिलान्तर्गत** चक्रामी ग्राम में 500 मीटर में अतिक्रमण के कारण कार्य अवरूद्ध। मामला पुनर्वास एवं पुनःस्थापन से संबंधित होने के कारण पुनर्वास हेतु मौजा–खैरपुर में भूमि अधिग्रहित की गई है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया की एक सप्ताह के अन्दर अंचलाधिकारी के साथ मिलकर पुनर्वास स्थल के संपर्क सड़क का समस्या का समाधान कर लिया जएगा। साथ ही, इस संबंध में दूरभाष के माध्यम से निदेशक भू–अर्जन द्वारा अंचलाधिकारी, नारायणपुर, भागलपुर को निदेशित किया की स्थल का निरिक्षण कर 15 दिनों के अन्दर प्रतिदिन भू–अर्जन निदेशालय फैक्स के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें तथा संपर्क सड़क की चौड़ाई 12 से 15 फीट रखने का भी निदेश दिया गया।

24. **एन0 एच0–30 एवं 84:– बक्सर जिलान्तर्गत** अधियाची विभाग से प्राप्त राशि–33.00 करोड में से 11.93 करोड़ राशि हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान की गई हैं। शेष राशि के भुगतान के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि रैयतों द्वारा मुआवजा भुगतान प्राप्त नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में निदेशक भू–अर्जन द्वारा निदेश दिया गया कि अधियाची विभाग से शेष प्राक्कलित राशि भी प्राप्त कर रैयतों को मुआवजा भुगतान करते हुए शेष राशि को सक्षम न्यायालय में जमा कर दें। साथ ही, एन0 एच0 ए0 आई0 के अधिकारी को शेष प्राक्कलित राशि भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

25. **एन0 एच0–30, (पटना–बख्तियारपुर)** :– पटना जिलान्तर्गत मौजा–जेठुली एवं कुनादीह के बकास्त भूमि को नियमानुसार रैयती भूमि घोषित करने के संबंध में दूरभाष के माध्यम से डी0सी0एल0आर0, पटना सिटी को निदेश दिया गया। दिनांक–16 जुलाई 2015 तक एन0 एच0 ए0 आई0 को0 दखल–कब्जा सौपने तथा एन0 एच0 ए0 आई0, पटना इकाई को दिनांक–20.07. 2015 तक कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

26. **एन0 एच0–31,(खगड़िया–बख्तियारपुर)** :– पटना जिलान्तर्गत कुल–49 करोड़ राशि में से 36. 00 करोड़ राशि हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान किया गया है। एन0 एच0 के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि मोकामा के बाद 6 मौजा में मुआवजा भुगतान की कार्रवाई रोक दी जाय, क्योंकि एलाईमेन्ट परिवर्तन की संभावना है। इस संबंध में निदेशक, भू–अर्जन द्वारा निदेश दिया गया की एन0 एच0 ए0 आई0 के अधिकारी लिखित रूप में डी0एल0ए0ओ0 पटना को उपलब्ध कराए कि किस–किस मौजों में मुआवजा भुगतान की कार्रवाई नहीं की जाय।

27. **एन0 एच0–83 (पटना–गया–डोभी)** :– परियोजना से संबंधित संरचना/मकान का मूल्यांकन भवन निर्माण विभाग के स्तर पर लंबित रहने के संबंध में प्रधान सचिव महोदय द्वारा दूरभाष के माध्यम से सचिव, भवन निर्माण विभाग का ध्यान आकृष्ट किया गया। **गया जिलान्तर्गत** भूमि के दर में विवाद के कारण रैयतों द्वारा मुआवजा भुगतान प्राप्त नहीं करने के संबंध मे प्रधान सचिव महोदय द्वारा जिला स्तरीय 6 सदस्यीय समिति को त्वरित निर्णय लेने की कार्रवाई का निदेश दिया गया। कुल–150 करोड़ राशि में से 77 करोड़ राशि का मुआवजा भुगतान हितबद्ध रैयतों को किया गया है, शेष राशि का भुगतान तीव्र गति से करने का निदेश दिया गया। **जहानाबाद जिला** में अपर समाहर्ता का पद रिक्त रहने के कारण भूमि का दर पुनः निर्धारण हेतु छः सदस्यीय समिति कार्य नहीं कर रहा है। **पटना जिलान्तर्गत** एन0 एच0 ए0 आई0 द्वारा राशि नहीं उपलब्ध कराने के कारण मुआवजा भुगतान की कार्रवाई बाधित।

28. **एन0 एच0–77 (हाजीपुर–मुजफ्फरपुर) एवं मुजफ्फरपुर–बाईपास**:– मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत इस परियोजना में 6 मामला न्यायालय में लंबित। समाहर्ता, मुजफ्फरपुर द्वारा एन0एच0ए0आई0 के साथ बैठक में निदेश दिया गया कि एन0एच0ए0आई0 कार्य शुरू करे एवं कार्य में स्थानीय बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रशासन द्वारा मदद की जाएगी। 6 मौजा यथा–रजला, फतेहपुर, कार्डटुरी, सकरी, केफेन एवं मघौल में 6 सदस्यीय समिति द्वारा आवासीय घोषित किया गया। परन्तु रैयतों द्वारा भूमि का प्रकृति व्यवसायिक की मांग के कारण मामला लंबित। वैशाली जिलान्तर्गत मौजा–इकारा में प्राक्कलन एन0ए0एच0आई0 के स्तर पर लंबित। 40 प्रतिशत रैयतों द्वारा ही मुआवजा राशि प्राप्त किया है। शेष रैयतों द्वारा बहुत ही कम दर के कारण मुआवजा प्राप्त नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में निदेशक, भू अर्जन द्वारा निदेश दिया गया कि मामले को सक्षम न्यायालय में रेफर करे।

29. **एन0 एच0–77 मुजफ्फरपुर–सोनवरसा**:– मौजा–बेदौल असली में हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान करने हेतु कैम्प लगाने का निदेश दिया गया तथा 6 सदस्यीय समिति का गठन पुनः करने हेतु समाहर्ता, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया।

30. **एन0 एच0–19:–सारण जिलान्तर्गत** 5 गॉव से संरचना से संबंधित संरचना/मकान का मूल्यांकन कर एन0एच0ए0आई0 को भेजा गया है। शेष 15 गांव का संरचना/मकान का

प्राक्कलन तैयार कर दिनांक 31.7.15 तक भेजने का निदेश दिया गया। मौजा–जलालपुर एवं मौजा–विशनटोला में अवैध संरचना/मकान हटाने का निदेश दिया गया। बाढ़ पीड़ित/कटाव पीड़ित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु लीज नीति के तहत भूमि अधिग्रहण करने का निदेश प्रधान सचिव महोदय द्वारा दिया गया।

31. **एन0 एच0–102 (छपरा–रेवाघाट मुज0)**:–मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत 5 मौजा में से 5 मौजा का 3जी प्राकलन तैयार कर एन0एच0ए0आई0 को सौंपा गया। सारण जिलान्तर्गत कुल 19 गांव में से 19 गांव का 3जी प्राकलन तैयार कर एन0एच0ए0आई0 को सौंपा गया तथा 3 गांव में मुआवजा भुगतान की कार्रवाई जारी।

32. **एन0 एच0–82 (बिहारशरीफ–बरबीघा–मोकामा)**:–नालंदा जिलान्तर्गत कुल 13 मौजा में से 13 मौजा का अवार्ड घोषित तथा 11 मौजा में अधियाची विभाग को दखल कब्जा प्राप्त, शेष 2 मौजा में दखल कब्जा 30.7.15 तक सौंपने का निदेश दिया गया।

33. **गंगा रेल–सह–सडक पुल का पहुँच पथ मुंगेर** 3(A) में कतिपय संशोधन हेतु प्रस्ताव जिला स्तर पर लंबित।

34. पथ निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं यथा राजकीय उच्च पथ, आर0सी0सी0 पुल, इत्यादि के भू–अर्जन कार्यों के प्रगति की जिलावार समीक्षा की गई। इस संबंध में संबंधित जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएँ है उन सभी परियोजनाओं को विशेष ध्यान देकर लंबित मामलों को यथाशीघ्र पूरा करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्ग की विभिन्न लंबित परियोजनाओं को भी शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया।

35. **एन0 एच0–98**:–परियोजना के तहत अरवल जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि 10.74 सरकारी भूमि के हेतु एल0 पी0 सी0 के संबंध में कैम्प लगाया जाय। साथ ही, समाहर्त्ता, अरवल को इस संबंध में दूरभाष के माध्यम से प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया। संरचना/मकान का मूल्यांकन आर0सी0डी0 के स्वतंत्र संस्था द्वारा कर ली गई है, जिसपर समाहर्ता, अरवल की स्वीकृति हेतु लंबित है। औरंगाबाद जिलान्तर्गत रैयती भूमि से संबंधित मुआवजा भुगतान की कार्रवाई पूर्ण, परन्तु मकान/संरचना से संबंधित मूल्यांकन की कार्रवाई हेतु जिलास्तर पर लंबित। पटना जिलान्तर्गत अधियाची विभाग से राशि 40 करोड प्राप्त तथा 5 करोड राशि हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान किया गया है, शेष राशि दिनांक 11.8.15 तक मुआवजा भुगतान करने का निदेश दिया गया।

36. **एन0 एच0–30 A-(फतुहा–हरनौत)** पटना जिलान्तर्गत 3 गांव का नक्शा अधियाची विभाग द्वारा अब उपलब्ध नहीं कराने के कारण मामला लंबित। नालंदा जिलान्तर्गत कुल 8 गांव में से कुल 4 गांव में एलानमेंट का मापी का कार्य चल रहा है तथा 2 गांव में हितबद्ध रैयतों का मुआवजा भुगतान प्राप्त करने हेतु नोटिस भेजा गया है। उक्त 2 मौजा में दिनांक 30.7.15 तक मुआवजा भुगतान करने का निदेश दिया गया।

37. **एन0एच0 104:–शिवहर जिलान्तर्गत** कुल प्राप्त राशि 15.08 करोड रूपये में से 1.00 करोड राशि का हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान किया गया है, शेष राशि दिनांक 30.07.15 तक मुआवजा भुगतान करने का निदेश दिया गया। **मधुबनी जिलान्तर्गत** 3जी0 प्राकलन जिला स्तर पर लंबित रहने के कारण निदेशक भू अर्जन द्वारा निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर अधियाची विभाग को सौंपे।

38. **एन0एच0 81 (डेहरी–दिवानगंज):–कटिहार जिलान्तर्गत** लावा बाजार में अतिक्रमण हटाने के संबंध में समाहर्ता, कटिहार को दूरभाष के माध्यम से प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेशित किया गया।

39. **एस0 एच0--78 (चण्डी–सरमेरा) राज्य उच्च पथ परियोजना :-** नालंदा जिलान्तर्गत कुल 43 रैयती मौजा में से 40 मौजा का अवार्ड घोषित। 3 मौजा में मुआवजा भुगतान की कार्रवाई जारी। कुल–26 बकारत मौजा में से 22 मौजा का पंचाट घोषित, शेष 1 मौजा नरौरा का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। 5 मौजा का अधियाचना नये भू अर्जन अधिनियम 2013 के तहत प्राप्त। उक्त 5 मौजा का एस0आई0ए0 हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत एस0आई0इकाई को भेजने का निदेश दिया गया।

40. **एस0एच0--81:**–भोजपुर जिलान्तर्गत इस परियोजना के तहत प्राप्त कुल प्राक्कलित राशि से अधिक राशि इस परियोजना में उपलब्ध हो जाने के संबंध में जिला भू अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर का निदेश दिया गया कि कुल प्राकलित राशि से अधिक राशि को बी0एस0आर0डी0 को वापस कर दे।

41. **एस0एच0–90:**–गोपालगंज जिलान्तर्गत कुल प्राप्त राशि 37.00 करोड में से 4.6 करोड राशि का मुआवजा भुगतान हितबद्ध रैयतों को किया गया है। अधियाची विभाग द्वारा बताया गया कि जिला भू अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा बगैर छः सदस्यीय समिति के सिफारिश के ही भूमि का प्रकृति में परिवर्तन कर दिया गया। इस संबंध में निदेशक, भू अर्जन द्वारा निदेश दिया गया कि विभागीय परिपत्र सं0--2502 दिनांक 25.10.2012 के आलोक में कार्रवाई की जाय।

42. भू--अर्जन से संबंधित माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर प्रथम अपील, सी0 डब्लू0 जे0 सी0, एल0 पी0 ए0, इत्यादि मामलों का निष्पादन हेतु वांछित कार्रवाई ससमय पूरा करने का निदेश सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/प्रभारी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को पुनः दिया गया। बैठक में इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर विभिन्न वादों में पारित न्यायादेश का अनुपालन ससमय किया जाय। न्यायादेश का अनुपालन में विलंब होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सरकार के विरूद्ध अवमाननावाद याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किये जाते हैं। फलस्वरूप सरकार स्तर पर अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न होती है तथा राजकीय कोष का अपव्यय भी होता है।

43. जन शिकायत एवं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लंबित मामलों को यथाशीघ्र निष्पादन करने का निदेश सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों/प्रभारी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को दिया गया।

44. **बैठक की अगली तिथि–12.08.2015 (बुधवार) निर्धारित है।**

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

3/7/15

(शशि भूषण तिवारी)
निदेशक--सह--विशेष सचिव,
भू--अर्जन।

ज्ञापांक:–14 / डी.एल.ए.बैठक (जि0भू0अ0पदा0 कार्यवाही)–19 / 11–836 / पटना, दिनांक–31.07.15

प्रतिलिपि:–

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विकास आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग / प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
8. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / भागलपुर / मुंगेर / मगध / पुर्णियां / कोसी / सारण / तिरहुत / दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
9. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
10. सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
11. सभी समाहर्त्ता / सभी अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
12. सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
13. मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी (निर्माण), पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रूघाट, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
14. उप मुख्य अभियंता / नि0 / भूमि / महेन्द्रूघाट, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
15. प्रबंधक (मानव संसाधन), एन.टी.पी.सी. बाढ़, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
16. उप महाप्रबंधक (एस0टी0), पावरग्रीड कॉरपोरेशन, द्वितीय तल, अलंकार पैलेस, बोरिंग रोड, पटना–800001 को सूचनार्थ प्रेषित।
17. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय जल विधुत पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, विधुत भवन–II, बेली रोड, पटना।
18. उप मुख्य अभियंता / निर्माण, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
19. उप मुख्य अभियंता, गंगा ब्रीज, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
20. अधीक्षण अभियंता, एस0एस0बी0 मुख्यालय, रूकनपुरा, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
21. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, डी0–63, श्री कृष्णापुरी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
22. प्रबंधक, (तकनीकी), पी0आई0यू0, एन0एच0ए0आई0, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
23. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निगम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
24. निदेशक, एल0 एन0 मिश्रा आर्थिक अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना / ए0 एन0 सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना / चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना एवं आद्री, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक–सह–विशेष सचिव,
भू–अर्जन।

Name & E-mail ID

S.	Name of Deptt.	Name	Mobile No.	E-mail No.
1	2	3	4	5
1	PD, NHAI, Hajipur	Manoj Kumar	7250457962	hajipur@nhai.org
2	PD, NHAI, Begusarai	Arvind kumar Verma	9431221642	arvindvrma1960@gmail.com
3	PD, NHAI, Purnia	A.K. Singh	9471639994	arria@nhai.org
4	RO, NHAI, Patna	R.P. Singh	7631020127	ropatna@nhai.org
5	Tech. Secretary to CBNH	Manoranjan Kr. Sinha	9973081347	cenhbihar@gmail.com
6	Manager NHAI, Gaya	Pramod Kumar	9955354577	kpromod@9179@reddifmail.com
7	Dy, Manager (T) NHAI, PIU, Patna	Rohit Kumar	9097980223	rohit4576@gmail.com
8	PD, NHAI, Gaya	Niraj Gaur	9794541786	
9	SPE, BTPNNL	Birendra Kumar	9470001960	spekhagariabrpnn.in.co
10	EE.RCD. Patna	Ram Newaj	9431877705	socrcd@gmail.com
11	Tecl secoretaru tp CBNH	Manoranjan Kr. Sinha	9973081347	cenhbihar@gmail.com
12	DGM, BSRDC Ltd	Bablu kumar	9431079579	bablu.rcd@gmail.com
13	DGM, BSRDC LTD.	Ramesh kr. Singh	9430033436	rks.rcd@gmail.com
14	InfraStructure Development Authority	Abhimanu Singh	9431413168	abhimanyusinghbas@gmail.com
15	CALA, Aurangabad			
16	Manager (Tecl) NHAI, Begusarai	Pramod Kumar	9199979067	pramod123rcc@gmail.com
17	BSRDC LTD	Suresh kumar	9431005715	
18	NHAI-Varanasi	K.M. sharma	7850399993	var@nhai.org
19	DUPH Chiebengineer maleardru dhat, Patna	R.K. Singh	9771425262	coacsecr@gmail.com

ज्ञापांकः–......836/रा०............ / पटना, दिनांक–...31-07-.......2015

प्रतिलिपिः–आई० टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय बेव साइट पर यथास्थान शीध्र प्रकाशनार्थ प्रेषित।

निदेशक–सह–विशेष सचिव,
भू–अर्जन।

D:\Pappu\Niranjan ji\proceeding\Monthly Meeting (Proceeding)_13-07-2015.doc

PTO